न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 46/2025

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
हरकाराम पुत्र पांचाराम जाति जाट निवासी देशवाल तहसील मेडता जिला नागौर।		तहसीलदार मेडतासिटी जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

दिनांक: 07.11.2025

निर्णय

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मेडता द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 01/2025 पटवारी ओलादन बनाम हरकाराम में निर्णय दिनांक 07.05.2025 के तहत मौजा देशवाल की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 19.06.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 02.07.2025 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 01/25 पटवारी ओलादन बनाम हरकाराम की सम्पूर्ण पत्रावली की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि पटवारी हल्का ओलादन ने मिथ्या अतिक्रमण रिपोर्ट पेश कर उक्त कार्यवाही करवाई, जिस पर सारी स्थिति से अवगत करवाते हुए जवाब पेश किया। जिस पर सारी स्थिति से अवगत करवाते हुए जवाब पेश किया। जिस पर तहसीलदार मेडता ने पुनः पटवार हल्का से मौका रिपोर्ट तलब की। जिसमे पटवार हल्का ने बदयान्ति से अपीलांट का रास्ता पर अतिक्रमण होना मिथ्या दर्ज करते हुए गलत रिपोर्ट पेश कर दी व उसी दिन दिनांक 07.05.2025 को तहसीलदार मेडता ने पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली व 48 रू. की शास्ति अधिरोपित कर निर्णय दिनांक 07.05.2025 को पारित कर दिया, जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नही हो सकी, हाल ही मे पटवारी ने अपीलांट की दीवार व बाड हटा कर खातेदारी की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी व कहा कि तहसीलदार ने आपके विरूद्व निर्णय पारित कर दिया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय मे जाकर पता किया व नकलो का आवेदन करने पर दिनांक 09.06.2025 को प्रमाणित प्रतियां मिलने पर सर्वप्रथम इस निर्णय की जानकारी हुई, तत्पश्चात अपीलांट नागौर आकर श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को ज्ञापन पेश कर सारी स्थिति से अवगत करवाया तो जिला कलक्टर नागौर ने तहसीलदार मेडता को संपूर्ण जांच के आदेश दिये थे। लेकिन तहसीलदार मेडता ने कहा कि हमने तो बेदखली का आदेश पारित कर दिया है। अब आपको कोई रिलीफ चाहिये तो अपील करो, जिस पर कानूनी राय लेकर नागौर आकर अधिवक्ता नियुक्त कर सारे हालात बता कर अपील पेश की। जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार किये जाने बाबत् आवेदन पेश किया। न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)– निर्णय जैर अपील कतई गलत, विधि विरूद्व व बिना आवश्यकता के पारित किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– अपीलांट का कथित रास्ता की भूमि पर न तो कोई अतिक्रमण था। न आज दिन है मौके पर रास्ता राजस्व रेकर्ड अनुसार खुला है। अपीलांट का रास्ते के चिपता खेत होने के कारण व गांव के समूह विशेष के लोगो द्वारा राजनैतिक रंजिश के चलते तंग परेशान करने हेतु पटवारी को दबाव व बहकावे मे लेकर मिथ्या रिपोर्ट कराई है। इस कारण निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)– पटवारी ने अपीलांट सहित आस पास के खेतो का नाप चोप किये बिना ही अपीलांट को रास्ता पर अतिक्रमण करने की मिथ्या रिपोर्ट कर दी व तहसीलदार से निवेदन करने के बावजूद निष्पक्ष टीम से रास्ता व दोनो तरफ के खेतो का नाप चोप करवाये बिना पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करने का निर्णय पारित करने मे विधिक त्रुटि की है।

07/11/25

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(IV)–अपीलांट को तहसीलदार ने कोई साक्ष्य सबूत का अवसर नही दिया। न पटवारी से जिरह करवाई व बिना अतिक्रमण साबित हुए अतिक्रमी घोषित करने का निर्णय पारित करने मे भारी कानूनी त्रुटि की है।

{2}(V)– अपीलांट के पारिवारिक सदस्य भंवरूराम के खेत के चिपता आम कटाणी रास्ता ओलादन से छापरी देशवाल जाने वाला है। जिसके खसरा नं. 925 है। जिस पर केसरदेवी पत्नी कालूराम खाती वगैरा ने रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त लोग तहसीलदार व पटवारी से मिलकर भंवरूराम के खेत मे से जबरदस्ती नया रास्ता कायम करने पर आमादा होने व अतिक्रमियो को शह देने व अतिक्रमण नही हटाने के कारण हमने उपखण्ड अधिकारी मेडता व जिला कलक्टर नागौर को शिकायत पेश की थी। जिससे पटवारी ने रंजिशवश अपीलांट अनपढ वृद्व किसान को तंग परेशान करने व दबाव बनाने के लिये मिथ्या रिपोर्ट पेश कर निर्णय जैर अपील पारित करवाया है। जो निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा देशवाल में स्थित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मेडता द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 01/2025 पटवारी ओलादन बनाम हरकाराम में निर्णय दिनांक 07.05.2025 के तहत मौजा देशवाल की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके देशवाल के खसरा नंबर 794 गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/11/25

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर